violation of the code of conduct of the Judiciary or any high office whatsoever of our country. Thank you.

Service Rules For Lady Pilots of Indian Airlines

PROF. (SHRIMATI) BHARATI RAY (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak. Sir, despite the constitutional provision of equality, irrespective of caste, class and gender, we see inequalities in these three areas. Therefore, Sir, I wish to draw the attention of the House to a case of gender discrimination in our own Indian Airlines. Sir, we are proud of our lady pilots and the Indian Airlines also declare that they are proud of their lady pilots. They employ the maximum number of lady pilots among all the commercial Airlines. But Sir, there are no service rules for lady pilots. Of course, they are granted maternity leave. But I understand that as soon as pregnancy in them is detected, they are not allowed to fly, and what is more, they are given leave without pay. Sir, pregnancy is not an offence, at least, it is not an offence according to the law of the land, it is not a disease, it is a natural condition, natural to womanhood. To penalise her for being pregnant is a case of blatant gender discrimination. Why should the lady pilot suffer financially because of pregnancy? If the medical authorities opine against the lady pilot flying during pregnancy, they should be given some ground jobs, and that too, in accordance with their grades. Their seniority must not suffer because of this change in their nature of work. At least up to two children, they should be given this facility and they must not suffer either financial loss or loss of seniority on account of pregnancy. I request the hon. Minister of Civil Aviation to instruct the Indian Airlines to frame appropriate service rules for the lady pilots.

Unhygienic and Reckless Conditions Prevailing In Bottling Plants of Soft Drink Companies Causing Health Hazards

श्री ललित भाई मेहता (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे वतन से आज पैप्सी कोला की एक बोतल आयी। उस बोतल में - गुटका खाने वाले कुछ लोग होंगे, उस गुटके का पूरा पैकेट उसमें आया है और फिर उस बोतल की बॉटलिंग करके वह बोतल यहां पर आयी है। आज मैंने सभापति जी को यह बताया। कैसी स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली वह कंडीशंस होंगी, यह वहां पर कोई देखता नहीं है। कई बॉटलिंग प्लांट्स ऐसे हैं जो कि नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। वह यह नहीं देखते कि बॉटलिंग प्लांट में जैसा वातावरण रहना चाहिए, वैसा रहता है कि नहीं रहता है। महोदय, यह स्वास्थ्य के लिए

हानिकारक जो पेय पदार्थ हैं, इनका ज्यादा से ज्यादा असर हमारे युवा वर्ग पर, हमारे बच्चों पर होता जा रहा है। आज देश में कोका कोला और पैप्सी कोला जैसे विदेशी पेय के जितने भी ब्रांड्स मौजूद हैं, उनको देखते हुए यह लगता है कि स्वास्थ्य के लिए यह सब हानिकारक हैं और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर इनकी जिस प्रकार से बॉटलिंग होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है। फिर भी आज इसकी बिक्री बढ़ती जा रही है, इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। हमें यह देखना होगा कि जिन-जिन कंपनियों ने ये बॉटलिंग प्लांट लगाए हैं, उनमें कैसी परिस्थिति है । हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकारों का स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है, यह मुझे पता है लेकिन जो पेय पदार्थ यहां मिल रहे हैं, उसके बारे में 1974 में 14 मार्च को लोक सभा में एक चर्चा चली थी। इस चर्चा के दौरान जो बातें सामने आई हैं, वे बातें मैं यहां पर रखना चाहूंगा। जो इसके कंटेंट्स थे, उनमें क्या यह सच नहीं है कि इन पेय पदार्थों में कार्बन डाईऑक्साइड, फॉस्फोरिक एसिड, कैफीन, साइट्रिक एसिड, कोकीन, पोटैशियम बेनज़ोनेट, सोडियम ग्लॉबेराइट जैसे केमिकल्स होते हैं और उनके कारण हमारे शरीर में कितने ही प्रकार के दर्द होने की संभावना है? इससे हृदय रोग बढ़ता है, किडनी के रोग बढ़ते हैं, दांत गलते हैं, हड्डियां गलती हैं, ये सब इसके कारण होता है, यह साबित हो चुका है। हैदराबाद में जो न्यूट्रीशन रिसर्च लेबोरेटरी है, उसकी रिपोर्ट से मैं यह कोट करना चाहूंगा।

The Nutrition Research Laboratory at Hyderabad, in its annual report for the period from 1st October, 1965 to 30th September, 1966, on page 73, says:

> "The results, which are presented in Table 29, indicated that the gain in body weight of animals consuming Coca Cola was significantly lower than that of the other three groups. This appeared to be a direct result of the lowered food intake in this group. Animals receiving Coca Cola consumed about twice the volume of fluid as those drinking tap-water."

आगे कहा गया है -

> "Levels of haemoglobin were not different in the various groups but serum albumin levels were significantly lowered in the group consuming Coca Cola."

> "Analysis of Coca Cola revealed that it had a pH of 2.7, a total solid content of 12 per cent and contained caffeine."

"It was observed that the total ash content of both these organs were slightly lower in animals receiving Coca Cola as compared to those receiving tap-water.""

सदन में यह चर्चा चली लेकिन उस समय सदन के एक माननीय सदस्य थे श्री हीरेन मुखर्जी । उन्होंने यह बात किसी फ्रेंच आदमी से पूछी । जो बताया गया, उसमें यह कहा गया है कि Prof. Hiren Mukherjee said:

" A Frenchman once told an Indian when the latter was asked what his national drink was. The Indian for a while scratched his head and then came out with the answer, "I suppose, it is water." Then, the French man turned round and said, "What? You mean the stuff you wash with?" Whatever the French man's reaction, our national drink is God's pure water, Adam's ale.

I do not see why there should be any reason that obnoxious substitutes, like Coca Cola or Pepsi Cola, or whatever else you might call them, should be an instrument of extracting out of our country not only the hard-earned money of our people but also of damaging their health."

यह बात आगे चली थी । हमारे आज के प्रधान मंत्री और उस वक्त ग्वालियर से चुने हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस संबंध में जो ऑब्ज़र्वेशन्स की थीं, वह भी मैं क्वोट करना चाहूंगा ।

"जब से कोका कोला आया है देश में बनने वाले अन्य पेयों को इसने न केवल बाज़ार से बाहर कर दिया है बल्कि उनके अस्तित्व को भी समाप्त कर दिया है। आपको स्मरण होगा कि हमारे देश में पहले विमटो बना करता था। वह कोका कोला से मिलता-जुलता था, स्वाद में कुछ कमी हो सकती थी लेकिन क्या हम अपने प्रयत्नों से, अपनी प्रतिभा से उस कमी को पूरा नहीं कर सकते हैं ? अगर आपने यह नहीं किया तो इसके लिए मंत्रिमंडल दोषी है और सरकार को इसका दोष देना चाहिए।"

महोदय, एक और ऑब्ज़र्वेशन उन्होंने की है -

"जो चीज़ हम बना सकते हैं, उसके लिए हम विदेशी कंपनी या विदेशियों का मुंह न ताकें। फर्टिलाइजर की जहां तक बात है, मैं विदेशी सहयोग की आवश्यकता समझ सकता हूं। इस्पात के निर्माण के लिए हमें विदेशी मुद्रा,

विदेशी तकनीक की आवश्यकता है।''

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : मेहता जी, यह स्पेशल मैंशन्स है अगर आप पूर्णरूप से सब कुछ बोलेंगे तो दिक्कत होगी।

श्री ललित भाई मेहता : बस एक मिनट में समाप्त कर देता हूं।... हम उसकी उपयोगिता समझ सकते हैं लेकिन पेय के लिए, पाउडर, लिपिस्टिक और टूथ पेस्ट के लिए हम विदेशी कम्पनियों पर निर्भर रहते हैं। यह नीति राष्ट्रीय हित में नहीं है। हमें इसमें परिवर्तन करना होगा। यह आब्जर्वेशन अटल जी का उस वक्त का है । मेरे पास आज जो बोतल आई है, मुझे लगता है कि इन कम्पनियों के द्वारा 1964 से लेकर 1973 तक सिर्फ दस करोड़ रुपया बाहर जाता था। आज पेप्सी कोला और कोका कोला कम्पनियों द्वारा साढ़े पांच सौ करोड़ रुपए का मुनाफा करने के लिए विदेशों में भेजा जाता है। एक ओर यह बात है और दूसरी ओर छः सौ, साढ़े छः सौ करोड़ रुपया कमाने के लिए हम यहां से मांस का निर्यात करते हैं। ...**(व्यवधान)**... वैश्वीकरण के नाम पर, उदारीकरण के नाम पर इस देश में ये बातें चल रही हैं। स्वास्थ्य के लिए जो चीजें हानिकारक हैं और जो चीजें यहां नहीं चाहिएं वे आ रही हैं। आपने कोई नया पेय बनाने की बात कही थी। क्या यह नहीं हो सकता? अपने देश में क्या हम नीम्बू का पानी नहीं पी सकते, हम छाछ नहीं पी सकते, हम गन्ने का रस नहीं पी सकते, हम नारियल का पानी नहीं पी सकते? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे देश में ऐसी चीजें बने जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हों और हानिकारक चीजों पर रोक लगाई जाए, यही मेरी प्रार्थना है।

Irregularities in Sankhya Vahini Project of Information technology

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका, इस सदन का और सरकार का ध्यान सांख्यवाहिनी परियोजना के साथ जुड़े खतरनाक पहलुओं की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। महोदय, संचार मंत्री यहां बैठे हुए हैं। मैं उनका विशेषरूप से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी क्योंकि यह उन्हीं के विभाग से जुड़ा हुआ प्रश्न है।...**(व्यवधान)**...मैं जिस चीज की ओर इशारा कर रही हूं वह यह है कि हमारे देश के दूर संचार विभाग ने अमेरिका की एक गुप्त, गुमनाम कम्पनी आई.यू.- नेट के साथ तमाम कायदे-कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए सांख्यवाहिनी नामक परियोजना शुरु की है। इस परियोजना का उद्देश्य हमारे देश में हाईस्पीड डाटा नेटवर्क स्थापित करना है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि आखिर क्या कारण था कि इस परियोजना को रूप देते हुए आपने न तो हमारे देश के इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की परवाह की, न हमारी राष्ट्रीय टेलीकाम नीति की परवाह की और न ही नई राष्ट्रीय टेलीकाम नीति की परवाह